भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1718

13.12.2021 को उत्तर देने के लिए

खान और खनिज अधिनियम में संशोधन

1718.श्री नीरज डांगी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर कोई उल्लंघन, खनन योजना से परे खनिजों का अधिक निष्कर्षण या पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन करना अब अवैध खनन नहीं माना जाएगा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) आम जनता, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, उद्योग और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए दिया गया समय, विधान पूर्व परामर्श नीति के अन्तर्गत तीस दिन की न्यूनतम अवधि की बजाय सिर्फ दस दिन है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) जी नहीं । अनुमोदित या प्रमाणित खनन योजना के अनुसार नहीं किए गए खनन कार्यों के संबंध में उल्लंघन खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2017 के तहत निपटाए जाते हैं। पर्यावरण, वन कानूनों और अन्य के संबंध में उल्लंघन का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और संबंधित कानून, जैसा भी मामला हो, के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) खान मंत्रालय ने 28.03.2021 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। आम जनता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा विधान-पूर्व परामर्श नीति के लिए दिया गया समय, विधान-पूर्व परामर्श नीति के अनुसार था।

*****